उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

उद्योग भवन, रिंग रोड नं0 1, तेलीबांधा, रायपुर

फोन नं0 (0771) 2583652–54, फैक्स नं0 2583651
Email : dtic-directorate.cg@gov.in
(औद्योगिक नीति प्रकोष्ठ)

क्रमांक– 67 / औ.नीति / 2019 / 2404 रायपुर, दिनांक 3 FEB 2020

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–रायपुर / गरियाबंद / महासमुन्द / बलौदाबाजार / दुर्ग / बालोद / बेमेतरा / बिलासपुर / मुंगेली / रायगढ़ / जगदलपुर / कोण्डागांव / राजनांदगांव / जांजगीर–चांपा / कोरबा / अम्बिकापुर / बलरामपुर / सूरजपुर / कोरिया / कबीरधाम / जशपुर नगर / धमतरी / बीजापुर / उत्तर बस्तर कांकेर / दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा / सुकमा / नारायणपुर

विषयः– औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–8 में अन्य विभागों से संबंधित गैर वित्तीय सुविधाओं के बिन्दुओं पर कार्यवाही करने बाबत्।

उपरोक्त विषय में औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–8 के बिन्दु क्रमांक–4.1 एवं 4.2 के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 7261 / तक. / छ.प.सं.मं. / 2015, दिनांक 06.02.2015 एवं आदेश क्रमांक 7188 / मु. / तक. / छ.ग.प.सं.मं. / 2015, दिनांक 03.02.2015 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अनिल टुटेजा)
संचालक उद्योग

पृ. क्रमांक– 67 / औ.नीति / 2019 / 2405 रायपुर, दिनांक 3 FEB 2020

प्रतिलिपिः–

1– **प्रबंध संचालक,** सीएसआईडीसी, रायपुर।
2– **संयुक्त संचालक,** राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर।
3– **मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक**, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, समस्त–जिला। को उक्त आदेशों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4– **श्री शीतल वर्मा,** सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, रायपुर की ओर उक्त आदेशों को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संचालक उद्योग

o/c

संलग्नक - एक

(8)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492099

रायपुर, दिनांक 06/02 ~~जनवरी~~, 2015

क्र. 7261/तक./छ.प.सं.मं./2015 – जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रवधानों के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन किया गया है.

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अधीन निम्न हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है:–

1. किसी उद्योग, संक्रिया, प्रक्रिया अथवा किसी शोधन तथा व्ययन पद्धति, अथवा इसमें वृद्धि करने या जोड़ने आदि गतिविधियों के लिए जिनसे सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुँए या सीवर या भूमि पर निस्सारण की संभावना हो; की स्थापना करने या उसकी स्थापना हेतु उपाय करने के लिये; अथवा
2. सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुँए या सीवर या भूमि पर निस्सारण हेतु किसी नये अथवा परिवर्तित निकास को उपयोग में लाने के लिये; अथवा
3. किसी नये सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुँए या सीवर या भूमि पर निस्सारण प्रारंभ करने के लिये
4. सीवेज तथा औद्योगिक निस्त्राव का निस्सारण जारी रखने हेतु;

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन औद्योगिक संयत्र में उत्सर्जन के निकास / उत्सर्जन के नये निकास बनाना प्रारंभ करने, उत्सर्जन का निकास चालू रखने के लिये किसी नवीन / परिवर्तित चिमनी का उपयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से वायु सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के नियम 4 तथा 6 के प्रावधानों के अनुसार किसी स्थानीय संस्था अथवा व्यवस्था के संचालक को अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा (जिसके अंतर्गत भूमि भरण भी शामिल है) की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है.

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अनुसार प्रथम बार सम्मति 12 मास के लिए जारी की जाती है तदुपरांत सम्मति का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाना होता है, इसी प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम बार प्राधिकार 12 मास के लिए जारी की जाती है, तदुपरांत प्राधिकार का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाना होता है. प्रतिवर्ष नवीनीकरण प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत तथा उद्योगों/संस्थाओं की सुविधा के दृष्टिकोण से सम्मति / प्राधिकार के प्रतिवर्ष के नवीनीकरण के स्थान पर अधिक समय के लिए नवीनीकरण किये जाने की मांग होती रही है.

उपरोक्त को ध्यान में रखकर विचार उपरांत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की [illegible] 25 (4) (ब) (ii) [illegible] वायु (प्रदूषण निवारण [illegible]

नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश कमांक 1504/तक./छ.ग.प.सं.मं./2008, रायपुर, दिनांक 17/03/2008 में संशोधन कर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी किये जाने वाले आगामी अवधि के सम्मति नवीनीकरण के लिए विचार योग्य अधिकतम समयसीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सम्मति नवीनीकरण :-

(अ) वृहद / मध्यम / लघु श्रेणी उद्योगों / संस्थाओं बाबत:-

कमांक	उद्योग / संस्था के प्रदूषणजनक गतिविधियों का प्रकार	सम्मति नवीनीकरण हेतु विचार योग्य आगामी अधिकतम अवधि
1.	लाल	05 वर्ष
2.	नारंगी	10 वर्ष
3.	हरी	15 वर्ष

(ब) स्थानीय संस्थाओं बाबत:-

कमांक	स्थानीय निकायों की श्रेणी	सम्मति नवीनीकरण हेतु विचार योग्य आगामी अधिकतम अवधि
1.	नगर पालिक निगम	05 वर्ष
2.	नगर पालिका	10 वर्ष
3.	नगर पंचायत	15 वर्ष

इसी प्रकार विचार उपरांत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के नियम 6(3) एवं (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका दिनांक 24-08-01 के परिपेक्ष्य में किसी स्थानीय संस्था अथवा व्यवस्था के संचालक को अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा (जिसके अंतर्गत भूमि भरण भी शामिल है) की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी किये जाने वाले प्राधिकार के आगामी अवधि के नवीनीकरण के लिए विचार योग्य अधिकतम समयसीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबधन एवं हथालन) नियम, 2000 अंतर्गत प्राधिकार नवीनीकरण:-

कमांक	स्थानीय निकायों की श्रेणी / स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाले व्यवस्था के संचालक	प्राधिकार नवीनीकरण हेतु विचार योग्य आगामी अधिकतम अवधि
1.	नगर पालिक, निगम	03 वर्ष
2.	नगर पालिका	05 वर्ष
3.	नगर पंचायत	10 वर्ष

सम्मति / प्राधिकार के आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण संबंधित अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत गुणदोष के आधार पर आवश्यक शर्तों के साथ किये जा सकेंगे. इस संबंध में अधिकतम समयसीमा के निर्धारण का अंतिम अधिकार राज्य बोर्ड अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल / प्राधिकृत अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल का होगा.

एक से अधिक वर्षों के सम्मति / प्राधिकार के नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही के लिए आवश्यक शर्तें (जहाँ जैसा लागू हो) निम्नानुसार होगी:-

1. छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना कमांक 883/1018/आपर्या/2003, रायपुर, दिनांक 31 मई 2003 के अनुसार सम्मति नवीनीकरण हेतु अधिकतम आवेदित अवधि के लिए निर्धारित शुल्क अग्रिम रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. सम्मति नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा सम्मति नवीनीकरण जारी किये जाने से पूर्व यदि सम्मति नवीनीकरण के लिएं निर्धारित शुल्क में वृद्धि होने पर संशोधित दर से अंतर का सम्मति नवीनीकरण शुल्क संदाय किया जावेगा.

2. सम्मति नवीनीकरण की अवधि में केपीटल इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने पर निर्धारित फीस के अंतर का सम्मति नवीनीकरण शुल्क संदाय किया जावेगा.

3. सम्मति नवीनीकरण अवधि में उत्पाद, उत्पादन क्षमता, उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल, दूषित जल की मात्रा एवं गुणवत्ता, ठोस अपशिष्ट की मात्रा एवं गुणवत्ता, वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा, ईंधन की मात्रा एवं प्रकार, संकिया, प्रक्रिया, शोधन प्रक्रिया आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा.

4. जिन गतिविधियों हेतु सम्मति / प्राधिकार जारी की गई है उसके अतिरिक्त गतिविधियाँ, अर्थात:-

   - किसी संक्रिया, प्रक्रिया, अथवा किसी शोधन तथा व्ययन पद्धति, अथवा इसमें वृद्धि करने या जोड़ने आदि गतिविधियों के लिए (जिनसे सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुँए या सीवर या भूमि पर निस्सारण की संभावना हो) की अतिरिक्त स्थापना करने या उसकी स्थापना हेतु उपाय करने के लिये; अथवा

   - सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुँए या सीवर या भूमि पर निस्सारण हेतु किसी नये अथवा परिवर्तित निकास को उपयोग में लाने के लिये; अथवा

   - किसी नये सीवेज अथवा औद्योगिक निस्त्राव के किसी स्ट्रीम या कुँए या सीवर या भूमि पर निस्सारण प्रारंभ करने के लिये; अथवा / और

   - औद्योगिक संयंत्र में उत्तार्जन के निकास / उत्सर्जन के नये निकास बनाना प्रारम्भ करने, उत्सर्जन का निकास चालू रखने के लिए किसी नवीन / परिवर्तित चिमनी का उपयोग करने के लिये; अथवा / और

   - नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण की संक्रिया / प्रकिया आदि अथवा किसी शोधन तथा निपटान सुविधा (भूमि भरण शामिल) की संक्रिया / प्रकिया आदि में कोई परिवर्तन करने अथवा इसमें वृद्धि करने या जोड़ने की दशा में;

नई सम्मति / प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य होगा. इस हेतु निर्धारित सम्मति शुल्क सहित निर्धारित प्ररूप में आवेदन किया जाना होगा.

पर्यावरण की दृष्टि से व विशेष परिस्थिति में किसी उद्योग की श्रेणी में परिवर्तन अथवा सम्मति /प्राधिकार के संशोधन या इस आदेश में आवश्यक समझे जाने पर संशोधन के अधिकार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पास सुरक्षित रहेगा.

देवेन्द्र सिंह,
सदस्य सचिव

संलग्नक-दो

(33)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492099

कार्यालय आदेश

क्रमांक 7188 /मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2015 रायपुर, दिनांक 3/2/2015

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत् उद्योगों को स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी की जाती है। वर्तमान में उक्त सम्मति उद्योगों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर दी जाती है एवं एक बार जारी स्थापना सम्मति में उल्लेखित इकाईयों हेतु एक ही संचालन सम्मति जारी की जाती है। प्रायः उद्योगों द्वारा उनकी सुविधा अनुसार एक ही उद्योग परिसर में अलग–अलग समय पर स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु पृथक–पृथक स्थापना सम्मति प्राप्त की जाती है एवं इसी स्थापना सम्मति अनुसार मंडल द्वारा पृथक–पृथक संचालन सम्मति भी प्रदान की जाती रही है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 12वीं बैठक दिनांक 11/11/2014 में लिये गये निर्णय अनुसार एक ही परिसर में होने वाले क्रियाकलापों के लिए अलग–अलग परिचालन सम्मति जारी न कर सम्मतियों को Consolidate कर एकल प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी किये जाने वाले स्थापना एवं संचालन सम्मति के संबंध में राज्य बोर्ड की 32वीं बैठक दिनांक 30/12/2014 में निर्णय लिया गया है कि एक ही परिसर में होने वाले क्रियाकलापों (Activities/Operations) के सभी स्थापना/संचालन सम्मतियों के एकीकरण (Consolidation) करने हेतु परिसर के समस्त क्रियाकलापों (स्थापित एवं प्रस्तावित) हेतु उद्योग द्वारा कुल विनिवेश के आधार पर सम्मति शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर सम्मतियों को एकीकृत (Consolidate) कर एकल प्रमाण पत्र (Single Consent) जारी किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि एक परिसर के अंदर समस्त क्रियाकलापों (Activities/Operations) अथवा उत्पादों (Products) के लिए भविष्य में एक ही सम्मति जारी की जावे।

अतः आदेशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी किये जाने वाले स्थापना एवं संचालन सम्मति के संबंध में एक ही परिसर में होने वाले क्रियाकलापों (Activities/Operations) के सभी स्थापना/संचालन सम्मतियों के एकीकरण (Consolidation) करने हेतु परिसर के समस्त क्रियाकलापों (स्थापित एवं

प्रस्तावित) हेतु उद्योग द्वारा कुल विनिवेश के आधार पर सम्मति शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर सम्मतियों को एकीकृत (Consolidate) कर एकल प्रमाण पत्र (Single Consent) जारी किया जावे। एक परिसर के अंदर समस्त कियाकलापों (Activities/Operations) अथवा उत्पादों (Products) के लिए भविष्य में एक ही सम्मति जारी की जावे।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 7189 / मु. / तक. / छ.ग.प.सं.मं. / 2015 रायपुर, दिनांक 3/2/2015

प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता / सहायक अभियंता, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर, दुर्ग–भिलाई, रायगढ़, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगलदपुर एवं कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)